

19
६/५

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी को
अंतिम हिदायत की गई थी कि आगामी
पेशी पर तामिल की रसीदें पेश करें,
अन्यथा आदेश ७ नियम ५ के तहत
आदेश पारित किया जाएगा लेकिन वकील
वादी ने आज दिनांक तक तामिल की
रसीदें पेश नहीं की। अतः वादी का
वाद आदेश ७ नियम ५ के तहत खारिज
किया जाता है। पत्रावली, फैसलें, शमार
होकर नम्बर से कुम लोक दायिल
दफ्तर ले।



उपस्थित अधिकारी
बातारामगढ़ (सीकर)